157
8.30

संख्या – → / IX-2/17/40(प.नि.)/2011

प्रेषक,

डी.सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड , देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 08 अगस्त, 2017

**विषय– उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या–310/नि0मु0/नि0 यात्रा–छात्रा/2017, दिनांक 09.05.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सभी छात्राओं को विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/चिकित्सा/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के परिचय–पत्र के आधार पर राज्य की साधारण बसों में शैक्षिक दिवसों में शिक्षण संस्थान तक आने जाने के लिये एक ही बस में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर तथा प्रदेश के अन्दर माह दिसम्बर, 2016 तक की अवशेष धनराशि ₹ 1,00,71,857 एवं माह जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 तक धनराशि ₹ 79,13,786 कुल धनराशि ₹ 1,79,85,643 के सापेक्ष धनराशि ₹ 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) निःशुल्क यात्रा हेतु निर्गत उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही परिवहन निगम से देयक प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान परिवहन निगम को किया जायेगा।

(ii) इस धनराशि का व्यय परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति हेतु ही किया जायेगा।

(iii) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

(iv) व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(v) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि निगम को भुगतान किये जाने की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) उक्त धनराशि का व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 3055–सड़क परिवहन–190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – 06–उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति के मानक मद 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 610/3(150) XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्रस्तर–12 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी.सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

**पृ0 संख्या–231 (1)/IX-2/17/40(प.नि.)/2011तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ए0 एण्ड ई0 ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
4– महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस–ब–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
5– कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
9– वित्त नियत्रंक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
10– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
12– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव।